वोटिंग मशीन से

लोकतंत्र की हत्या

Murder of Democracy by Voting Machine

इलेक्ट्रोनिक मतदान प्रक्रिया असंवैधानिक है। दुनिया के सभी विकसित देशों ने इसे ठुकरा दिया है। फिर यह हम पर क्यों थोपी जा रही है ?

लेखक : राजेश शर्मा

इलेक्ट्रोनिक मतदान प्रक्रिया असंवैधानिक है क्योंकि सामान्य जनता से यह आशा करना गलत है कि वह EVM की मतों का हिसाब और रेकोर्डिंग की प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान रखे। - जर्मनी के सुप्रीमकोर्ट का आदेश

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वत्र उपयोग गैरकानूनी हो सकता है। - भारतीय सुप्रीमकोर्ट (१९८४)

'२००९ में चुनाव के पूर्व काँग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले कुछ लोगों की भर्ती कर लिया जिन्हें U.S.A. में बैंक एकाउन्ट, इंटरनेट और क्रेडिटकार्ड में हैकिंग के लिए दोषी पाया गया था।' यह कहने की जरूरत नहीं है कि ने इन लोगों को केवल EVM की हैकिंग के लिए ही भर्ती किया था। - डॉ सुब्रमण्य स्वामी

चुनाव उद्योग के अंतरंग (Insider) कर्मचारियों के ऊपर भरोसा रखने की कोई जरूरत नहीं।

- जिमी कार्टर, पूर्व अमेरीकी राष्ट्रपति

२००९ में महाराष्ट्र के मेरे मित्र एक पूर्व सांसद के बेटे को EVM निर्माताओं के ''अधिकृत'' इंजीनियर ने ५ करोड़ रुपयों में विधानसभा चुनाव क्षेत्र में ५०% वोट का हेरफेर करने का प्रस्ताव रखा था। - ओमेश सैगल पूर्व आई.ए.एस

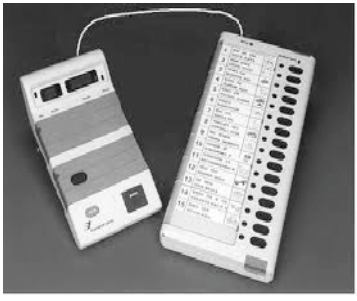

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस देश में एक दशक से अधिक मतदान चुनाव-यंत्र से ही किया गया है। चुनाव-यंत्र के दो हिस्से हैं : एक है कंट्रोल यूनिट और दूसरा है बैलेट मत यूनिट। इन दोनो यंत्रों को 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन' (EVM) कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट का प्रयोग अधिकारी और बैलेट मत यूनिट का प्रयोग मतदाता करते हैं। बैलेट मत यूनिट पर सभी उम्मेदवारों के नाम होते हैं। एक नाम चुनने पर उसी उम्मेदवार को मत मिल जाता है।

वोटिंग मशीन को दुनिया के विकसित देश अमेरिका, जर्मनी, हॉलैंड इत्यादि सभी ने ठुकरा दिया है।

वोट देने के बाद क्या हम दावे से कह सकते हैं कि हमारा वोट उसी के खाते में गया जिसे हमने वोट दिया ?

पिछले लोकसभा चुनावों के बाद से ही आम जनता तथा काँग्रेस को छोड़कर लगभग सभी राजनैतिक दलों के मन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सच्चाई को लेकर एक संशय है। इस विषय पर काफी कुछ लिखा भी जा चुका है और विद्वानों तथा सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर प्रयोग करके यह साबित किया है कि वोटिंग मशीनों को आसानी से हैक किया जा सकता है अर्थात् इनके परिणामों से छेड़छाड़ और इनमें बदलाव किया जा सकता है। आम जनता को इन मशीनों के बारे में, इनके उपयोग के बारे में तथा इनमें निहित खतरों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की असलियत

- डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी

वोटिंग मशीन पेटेंट करने लायक नहीं : मैंन इन्टेलेक्चुयल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन जो कि पेरिस में है, को पत्र लिखा कि क्या भारतीय चुनाव आयोग के पास इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का पेटेंट है ? जवाब आया, 'उन्होंने आवेदन किया था लेकिन आवश्यक और विस्तार में जानकारी के अभाव में उनका आवेदन इस अभिप्राय के साथ कि यह EVM पेटेंट करने के लायक या योग्य नहीं है रद्द किया गया । EVM एक देशी मशीन है।

EVM **उपयोग करनेवाले पागल :** EVM का सबसे महत्त्वपूर्ण पार्ट माईक्रो कन्ट्रोलर है जो जापान की कम्पनी द्वारा बनाया जाता है । उस जापानी कम्पनी से सम्पर्क करके मैंने (सुब्रह्मण्यम् स्वामी) उनसे पूछा कि क्या आप इस माईक्रो कन्ट्रोलर का इस्तेमाल अपने देश के EVM में करते हैं ? उन्होंने जवाब में कहा : ''क्या आप पागल हैं ? हम पर्चेवाली प्रक्रिया उपयोग करते हैं, EVM नहीं ।'' जिस देश की कम्पनी माईक्रो कन्ट्रोलर बनाती है और हमें बेचती है। वह देश खुद इसका इस्तेमाल नहीं करता है तो हम क्यों करें ?

> **नौ सुरक्षा की सावधानियाँ न रखी जायें तो EVM में धाँधली सम्भव है। परंतु नौ में से एक भी सुरक्षा-उपाय भारतीय EVM में नहीं है।**
> - (विश्वसनीय संस्था, इंटरनेशनल इलेक्ट्रीकल एंड इंजीनियरिंग जरनल)

इसे केवल तीन लोकतांत्रिक देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है वेनेजुएला, नाईजिरिया और भारत । हाईकोर्ट ने भी माना कि EVM के साथ छेड़छाड़ सम्भव है और चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि सभी पक्षों के साथ चर्चा हो और निर्णय हो कि क्या किया जाय ?

वोटिंग मशीन की सच्चाई बतानेवाले को जेल : आश्चर्य की बात यह है कि चुनाव आयोग का यह दावा है कि 'यह EVM अद्वितीय मशीन है, इसमें धाँधली असम्भव है ।' मैं (सुब्रह्मण्यम् स्वामी) आंध्रप्रदेश के कुछ मित्रों के साथ जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, EVM प्रदर्शन देखने के लिए हैदराबाद गया । यहाँ पूरी घटना

चित्रित किये जा रहा था । मेरे दो मित्र वी.वी. राव और हरिप्रसाद, उन्होंने EVM का पुर्जा-पुर्जा अलग किया । यह दिखाने के लिए कि इसमें किस प्रकार से छेड़छाड़ की जा सकती है । तभी अचानक से वहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लोगों ने आपत्ति जतायी कि 'यह हमारे बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों का उल्लंघन है । हमारे पास इसका पेटेंट है ।' और उन्होंने वह मीटिंग बर्खास्त कर दी । यह देखे बिना ही कि क्या सच में EVM में गड़बड़ी सम्भव है ।

उसके बाद जब हरिप्रसाद महाराष्ट्र आये तो उन्हें EVM के चोरी के आरोप में जेल में डाल दिया गया । मंत्री श्री जगदीश शेट्टी की सहायता से हरिप्रसादजी को जेल से छुड़ाया गया । लेकिन हरिप्रसाद ने जेल में अपना कुछ समय बिताया, वो भी किसलिए कि उन्होंने EVM चोरी किया और टीवी पर सबको बताया कि EVM के साथ छेड़छाड़ सम्भव है । जबकि इसके लिए तो उन्हें 'भारत रत्न' मिलना चाहिए न कि जेल ।

पुरानी मतदान-पद्धति अमल में लायी जाय : मतदान के समय मत देने के बाद मतदाता को एक रसीद मिलनी चाहिए, जिसमें यह विदित हो कि किसे मतदान हुआ है और वह रसीद दूसरे बॉक्स में जमा करें । इस माँग का चुनाव आयोग ने विरोध किया । अगर यह नहीं हो सकता है तो पुरानी मतदान-पद्धति ही अमल में लायी जाय । अगर कल चुनाव में काँग्रेस

की ज्यादा सीटें मिलती हैं तो यह सब माईक्रो कन्ट्रोलर का कमाल होगा, काँग्रेस का नहीं।

आज अमेरिका, इंग्लैंड, नेदरलैंड, जर्मनी, जापान जो भी महत्त्वपूर्ण देश हैं, वहाँ पर अभी भी पर्चेवाली प्रक्रिया के द्वारा ही मतदान होता है, EVM से नहीं।

*

वोटिंग मशीन को सभी विकसित देशों ने ठुकरा दिया

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को अमेरिका, जर्मनी, हॉलैंड इत्यादि विकसित देशों में उपयोग में लाया गया लेकिन लगातार आलोचनाओं और न्यूनतम सुरक्षा मानकों पर खरी न उतरने की वजह से उन्हें काबिल नहीं समझा गया। कई चुनावी विवादों में इन मशीनों की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठे और अंततः लम्बी बहस के बाद अमेरिका, जर्मनी, हॉलैंड, आयरलैंड आदि देशों में यह तय किया गया कि प्रत्येक मतदाता द्वारा दिये गये वोट का भौतिक सत्यापन होना जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन भरोसेमंद नहीं है। सभी विकसित देशों ने पुनः कागजी मतपत्र प्रक्रिया शुरू कर दी है। जबकि इधर भारत में चुनाव आयोग सतत इस बात का प्रचार करता रहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पूर्णतः सुरक्षित और पारदर्शी हैं तथा इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

EVM का महत्त्वपूर्ण गुप्तकार्य विदेशों से क्यों ?

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की निर्माता कम्पनियों - भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (BEL) और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) ने EVM के माइक्रोचिप के सीक्रेट सोर्स कोड (Secret Source Code) का फ्यूजिंग (Fuesing) का काम विदेशी कम्पनियों से आउटसोर्स किया। अब सवाल यह है कि जब हमारे देश में ही

योग्य और प्रतिभावान सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो यह महत्त्वपूर्ण काम बाहर से क्यों करवाया गया ?

वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ : सात में से पाँच वोट काँग्रेस को !

महाराष्ट्र के अर्धापुर नगर में पंचायत चुनाव हेतु निर्वाचन अधिकारी डॉ. निशिकांत देशपाण्डे द्वारा सभी राजनैतिक दलों की हाजिरी में चुनाव-प्रक्रिया, मतदान-पद्धति तथा मशीनों की जाँच करने हेतु एक प्रदर्शन (Demonstration) रखा गया था। इसमें जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सभी उम्मेदवारों को प्रक्रिया समझायी जानी थी। प्रदर्शन के दौरान उस EVM में सात अलग-अलग वोट डाले गये जिसमें से पाँच वोट काँग्रेस के खाते में चले गये। ऐसी घटना दो-बार हुई। काँग्रेस के अलावा सभी राजनैतिक दल हैरान रह गये। निर्वाचन अधिकारी ने किसी तरीके मामले को रफा-दफा किया।

वोटिंग मशीन का कमाल : हारे हुए पी. चिदम्बरम जीत गये !

२००९ लोकसभा आम चुनाव में शिवगंगा लोकसभा सीट से पी. चिदम्बरम पहली मतगणना में ३०० वोटों से हार गये थे। दूसरी बार मतगणना में भी यह अंतर बरकरार रहा। विभिन्न न्यूज चैनलों ने इसकी खबर भी प्रसारित कर दी थी परंतु चिदम्बरम द्वारा तीसरी बार मतगणना की अपील किये जाने पर आश्चर्यजनक रूप से चिदम्बरम ३३५४ वोटों से विजयी घोषित हुए थे। विपक्षी उम्मेदवार ने यह शिकायत की थी लेकिन उसका निराकरण अभी तक नहीं हो सका। यह पी. चिदम्बरम का निर्वाचन भी अभी तक संदेह के घेरे में है।

भारतीय EVM की रहस्यमय घटना तथा साजिश !

भारत की संसद में EVM अनेक बार असफल हुई है, जिससे सांसदों को अपने मत देने में बड़ी कठिनाइयाँ हुई हैं। सितम्बर २००८ में मनमोहन सिंह सरकार के भाग्य का निर्णय करने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण गुप्त निर्णायक मतदान सारे देश ने टेलीविजन पर देखा कि संसद के निचले सदन के ५४ सदस्य अपना मत इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा देने में असफल रहे। फिर अंत में इन सदस्यों को लिखित से मत देने की अनुमति दी गयी। अगर देश की सबसे महत्त्वपूर्ण शक्तिशाली संस्थान संसद की EVM में गड़बड़ी हो सकती है तो आम चुनावों की क्या बात है।

EVM **जाँच करने की योजना को रहस्यपूर्ण ढंग से बंद कर दिया** : चुनाव आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ कमेटी ने अपनी २००६ की रिपोर्ट में इस EVM माईक्रोचिप के निर्माणकर्ताओं को सुझाव दिया था वे EVM माईक्रोचिप के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की प्रमाणिकता का प्रमाण देनेवाले 'अथेन्टीकेशन यूनिट' (Authentication Unit) परियोजना को अमल में लाये। लेकिन खुद निर्वाचन आयोग ने षड्यंत्रपूर्ण तरीके से इस योजना को कचरे की पेटी में डाल दिया।

षड्यंत्र : २००६ में EVM के निर्माताओं (BEL और ECIL) ने बंगलौर की एक सीक्योर स्पीन (Securespin) नामक कम्पनी की सेवाएँ 'अथेन्टीकेशन यूनिट' (Authentication Unit) परियोजना के विकास के लिए, निर्वाचन कमीशन की विशेषज्ञ समिति से विचार-विमर्श किया। और २००७ के मध्य तक समिति द्वारा EVM की जाँच करने की निर्धारित शर्तो या नियमों के अनुसार इसका एक नमूना तैयार किया गया। जैसे ही परियोजना लागू करने के लिए तैयार हुई तभी विशेषज्ञ समिति को एक रहस्यपूर्ण ढंग से स्थगित कर दिया गया। BEL के जनरल मैनेजर जिसकी निगरानी में यह

परियोजना लागू होने जा रही थी उनका स्थानांतरण कर दिया गया। नये जनरल मैनेजर ने सीक्योर स्पीन (Seurespin) को बताया कि निर्वाचन कमीशन के निर्देशानुसार यह परियोजना ताक पर रख दी गयी है।

वोटिंग मशीन के बँटवारे में धोखाधड़ी : आर.टी.आई. द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर २००९ के लोकसभा चुनावों में १३.७८ लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें सम्पूर्ण भारत में उपयोग की गयीं। निर्वाचन आयोग ने केवल ४.४८ लाख सुधार की हुई उन्नत मशीनें (tamper-proof - जिनका माईक्रोचिप अनधिकृत रूप से परिवर्तन न किया जा सके) लगायीं। बाकी ९.३ लाख पुरानी मशीनों का प्रयोग किया गया। ये पुरानी मशीनें बनानेवाली कम्पनी की तकनीकी कमेटी के अनुसार सुरक्षा के मानदंड पर खरी नहीं उतरतीं।

सुधार की हुई नयी उन्नत वोटिंग मशीनों का प्रयोग केवल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेशनल डेमाक्रेटिक अलायंस (NDA) द्वारा शासित प्रदेशों बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और कुछ मुख्य विरोधी दलों पश्चिमी बंगाल में लेफ्ट-फ्रेंट तथा उत्तरप्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा शासित प्रदेशों में ही किया गया। पुरानी वोटिंग मशीनों का प्रयोग काँग्रेस व इसके साथी दलों द्वारा शासित प्रदेशों जैसे कि आंध्रप्रदेश, आसाम, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में किया गया।

वोटिंग मशीनों से धोखाधड़ी पकड़ी गयी

(अ) यहाँ हर पार्टी का वोट काँग्रेस को ही दर्ज हुआ : महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदी चुनाव क्षेत्र में मुखेड विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के बूथ नम्बर २६५ में किसी भी प्रत्याशी को दिये गये मत केवल काँग्रेस के हक में ही दर्ज किये जा रहे थे। बिल्कुल वैसी ही समस्या दक्षिण मुंबई संसदीय चुनाव की शिवडी विधानसभा क्षेत्र में बूथ नम्बर १८३ में भी देखी गयी थी।

(ब) वोटिंग मशीनों में डाले गये मत गुम (नष्ट) हो गये : उदाहरण के रूप में आंध्रप्रदेश के परकाल विधानसभा क्षेत्र में छः मतदान केन्द्रों (नम्बर १८५, १९७, २०९, २१२, २२१ और २२४) में डाले गये मत गुम हो गये हैं। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति और बहुत-से दूसरे निम्न चुनाव क्षेत्रों में भी देखने को मिली। रामगुंदम विधानसभा (SC) चुनाव क्षेत्र (मतदान केन्द्र नम्बर ६०, ६१), आलमपुर (SC) चुनाव क्षेत्र (मतदान केन्द्र नम्बर ६०, ६९), पन्यम (मतदान केन्द्र नम्बर ४४ व ४५) आदि आदि। ये सब तो केवल एक सांकेतिक सूची है न कि सम्पूर्ण ! पांडिचेरी संसदीय चुनाव क्षेत्र के ओझुकराई विधानसभा खंड के मतदान केन्द्र नम्बर ६ में सभी ५५५ मत कचरे की पेटी में फेंक दिये गये; क्योंकि मतगणना के दिन उसकी नियंत्रण ईकाई (Control Unit) ने ठीक से कार्य नहीं किया।

(स) वोटिंग मशीनों में डाले गये मतों से अधिक मत दिखायी दिये : महाराष्ट्र के भंडारा संसदीय चुनाव क्षेत्र में ६१ मतदान केन्द्रों में डाले गये मतों व गिने गये मतों में अंतर पाया गया। अक्टूबर २००९ में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भी बिल्कुल वैसी ही भिन्नता पायी गयी। एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में डाले गये मतों से EVM से गिने गये मतों की संख्या अधिक पायी गयी, जबकि दूसरे विधानसभा चुनाव क्षेत्र में EVM मशीनों द्वारा मतों की संख्या वास्तव में मतदान के दिन डाले गये मतों से कम थी। ये दोनों घटनाएँ जो 'टाइम्ज ऑफ इंडिया' समाचार पत्र में आयी थीं, लोगों में बहुत बड़ा आश्चर्यजनक संशय पैदा कर दी हैं।

THE TIMES OF INDIA

Tiroda, Arjuni-Morgaon EVMs under cloud

TNN 25 October 2009

GONDIA: The discrepancy in the actual figures of polling and shown by the electronic voting machines (EVMs) on the counting day has raised doubt in two assembly constituencies in Gondia district - Tiroda and Arjuni-Morgaon.

EVM की अंदरूनी धोखाधड़ी आसान :

अंदरूनी धोखाधड़ी की अनंत सम्भावनाएँ होती हैं क्योंकि इन लोगों की EVM मशीनों तक खुली पहुँच होती है। यह सब पुराने परम्परागत मतपत्र प्रक्रिया से बिल्कुल अलग हटकर है, जिसमें केवल चुनाव अधिकारी ही अंदरूनी कर्ता-धर्ता होता था लेकिन इन इलक्ट्रॉनिक मशीनों के राज में तो कितने ही अंदरूनी स्टाफ होते हैं; जो कि सारे-के-सारे निर्वाचन कमीशन के नियंत्रण के विस्तार-क्षेत्र से बाहर आते हैं।

(क) जिला अधिकारी, अधिकृत तकनीकी अधिकारी वोटिंग मशीनों के निर्माणकर्ता एवं उनसे संबंधित लोग।

(ख) मशीन निर्माणकर्ता BEL और ECIL कम्पनी के कर्मचारी, जो कि दोनों की दोनों ही कम्पनियाँ सरकार के स्वामित्व में आनेवाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं।

(ग) प्राइवेट एजेन्सियाँ या मशीनों की जाँच का कार्य करने के लिए स्टाफ को ढूँढ़कर देनेवाले एजेंट आदि लोग आते हैं। इनमें बहुतों पर तो राजनैतिक संबंध होने का आरोप भी है।

(घ) माईक्रोचिप के विदेशी पूर्तिकारक, उनके विक्रेता, उनके लाने-ले जानेवाले एजेंट आदि आदि।

वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ व धोखाधड़ी (EVM Rigging)

EVM में गड़बड़ी और धोखाधड़ी संबंधी जो आशंकाएँ हैं उसके पीछे एक मूल आशंका यही थी कि आखिर यह कैसे पता चले कि आपने जिसे वोट दिया है, वह वोट उसी प्रत्याशी के खाते में गया ? मशीन से तो सिर्फ बीप की आवाज आती है, स्क्रीन पर कोई निशान तो आता नहीं कि हम मान लें कि हाँ, चलो उसीको वोट गया, जिसे हम देना चाहते थे। न ही वोटिंग मशीनों से कोई प्रिंट आउट निकलता है जो यह साबित करे कि आपने फलाँ (अमुक) प्रत्याशी को ही वोट दिया। गलत ढंग से फायदा उठानेवाले वोटिंग मशीन में गड़बड़ी के कई तरीके अपना सकते हैं।

वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ के कई तरीके

(क) मशीनों में ट्रोजन वायरस डालना : ट्रोजन वायरस को सिर्फ मशीन का वह बटन पता होना चाहिए जो फायदा पहुँचनेवाले प्रत्याशी को दिया जाना है । जाहिर है कि यह बटन अलग-अलग चुनाव-क्षेत्रों में अलग-अलग जगह पर होगा लेकिन हैकर्स को विभिन्न बटन कॉम्बिनेशन से सिर्फ यह सुनिश्चित करना होगा कि सॉफ्टवेयर जान सके कि वह बटन कौन-सा है ?

(ख) माइक्रो वायरलेस ट्रांसमीटर / रिसीवर फिट करना : EVM की यूनिट में रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित वायरलेस ट्रांसमीटर/रिसीवर चिपकाया जा सकता है। मशीनों में छेड़छाड़ करके मनचाहे परिणाम प्राप्त करने के लिए यह सबसे सुरक्षित और आसान तरीका हो सकता है ।

कम्पनी द्वारा तैयार यह बेहद माइक्रोचिप किसी भी कागज, किताब, टेबल के कोने या किसी अन्य मशीन पर आसानी से चिपकाई जा सकती है और यह किसीको दिखेगी भी नहीं। इस चिप में ही इन-बिल्ट मोडेम, एंटीना, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी शामिल है । इसके द्वारा १०० पेज का डाटा १०MB की तीव्रता से भेजा और पाया जा सकता है । यह रेडियो आवृत्ति, (Frequency) उपग्रह और ब्लूटुथ की मिली-जुली तकनीक से काम करती है, जिससे इसके उपयोग करनेवाले को इसके आसपास भी मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं है । यंत्रचालक (Operator) कहीं दूर बैठकर भी इसे मोबाइल या किसी अन्य साधन से क्रियान्वित कर सकता है । इसलिए इस माइक्रो वायरलेस ट्रांसमीटर/ रिसीवर के जरिये वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट को विश्व के किसी भी भाग में बैठकर संचालित और नियंत्रित किया जा सकता है ।

इस माइक्रोचिप को किसी मरीज की कलाई में लगाकर उसका सारा रिकॉर्ड विश्व में कहीं भी लिया जा सकता है, विभिन्न फोटो और डॉक्यूमेंट

भी इसके द्वारा पलभर में पाये जा सकते हैं। जब ओसामा बिन लादेन द्वारा उपयोग किये जा रहे फोन की तरंगों को पहचानकर अमेरिका, ठीक उसके छिपने की जगह मिसाइल दाग सकता है, तो आज के उन्नत तकनीकी के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है।

(ग) वोटिंग मशीन की गुप्त प्रोग्राम से छेड़छाड़ : वोटिंग मशीन में जो चिप पर मतगणना का प्रोग्राम रखा जाता है उसे ना ही कोई पढ़ सकता है और ना ही कोई उसका अध्ययन कर सकता है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी उस प्रोग्राम को खोलकर देख नहीं सकते और अब अगर कोई अपराधी, एक बहुरूपिया चिप बनाकर मशीन में डाल दे तो कोई भी जाँचे बिना बता नहीं सकता।

चुनाव प्रारम्भ होने से पहले एक कृत्रिम मतगणना की जाँच होती है यह पता करने के लिए कि यंत्र ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन यह बहुत साधारण जाँच है। चुनाव-यंत्र का प्रोग्राम

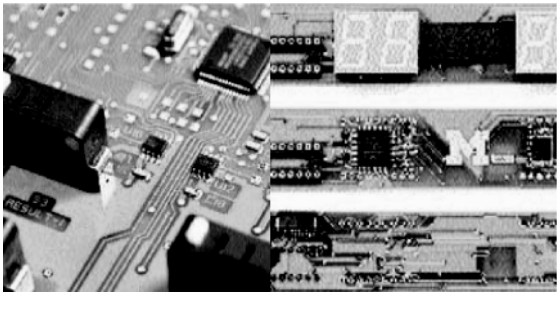

कुछ ऐसा भी किया जा सकता है कि सैंकड़ों मत दर्ज होने के बाद ही वह मतगणना में बेईमानी करे। चुनाव के दौरान सब कुछ सामान्य प्रतीत होगा परंतु वास्तविक परिणाम बेईमान होंगे।

यह भी कहा जाता है कि उम्मेदवारों के क्रम पहले से निर्धारित नहीं होते। ऐसा माना जाता है कि इससे बेईमानों को छेड़छाड़ करने को ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर हमने मशीन के भीतर ब्लूटुथ यंत्र छिपाया है तो हम मोबाइल फोन के एक खास प्रोग्राम से चुनाव-यंत्र को संकेत भेजकर अपने उम्मेदवार को जिता सकते हैं।

चुनाव आयोग ने राजनैतिक दलों, सुप्रिम कोर्ट के वरिष्ठ वकिल, हरि प्रसाद तथा आयोग की तरफ से टेक्निकल एक्पर्ट प्रोफेसर इन्द्रसेन आदि की हुई बहस का कुछ अंश।

हरिप्रसाद : ''निर्वाचन आयोग जिस ढंग से EVM की जाँच करता है उसमें कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिससे पता चले कि हैकर (Hacker) ने EVM मशीन के अंदर माईक्रोचिप या इसके मदर बोर्ड को बदल दिया है या नहीं।''

प्रोफेसर इन्द्रसेन : ''मैं मानता हूँ कि सिद्धांतिक रूप से यह सम्भव है लेकिन क्या कोई भी पूरे भारत की १३.८ लाख EVM मशीनों के माईक्रोचिप बदल सकता है ?''

गलत तरीके से चुनाव जीतने के लिए कितने मत चाहिए

गलत ढंग से चुनाव जीतने के लिए पूरे भारत में EVM मशीनों में गड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चुनाव की जीत-हार केवल थोड़े-थोड़े अंतर से होती है। २००९ के लोकसभा चुनावों में १६४ सीटें केवल ४% के अंतर जीती गयी थीं, इनमें से २६ सीटें उत्तरप्रदेश में थीं, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र में १५-१५ सीटें थी, गुजरात में १३ सीटें थी, तमिलनाडु में ११ सीटें थी और कर्नाटक में भी ११ सीटें थीं। लोकसभा चुनावों में ऐसे थोड़े-थोड़े अंतर से जीतवाले चुनाव क्षेत्रों में १०,००० मतों को इधर-उधर करना किसी भी दौड़ के धावक को विजयी बना सकते हैं। काँटे की टक्करवाले विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में केवल १२०० मतों को इधर-उधर करना ही आपका काम बना देगें।

वेनेझुएला २००४ में हुगा चावेज (Huga chavez) नामक व्यक्ति ने चुनाव जीते। बाद में पता चला कि EVM तैयार करनेवाली कम्पनी की २८% की मालिक वहाँ की सरकार ही थी।

काँग्रेस ने पूर्णबहुमत की ३०० सीटों पर धोखाधड़ी क्यों नहीं की ?

ये भी सवाल उठाये गये थे कि 'यदि काँग्रेस पार्टी ने ऐसी गड़बड़ी की होती तो क्यों नहीं ३०० सीटों पर धोखाधड़ी की ताकी पूर्ण बहुमत आ जाता ?' इसका उत्तर यही है कि धाँधली करने की भी एक सीमा होती है, जब महँगाई अपनी चरम सीमा पर हो, आतंकवाद का मुद्दा सामने हो तब काँग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल जाय तो सभीको शक हो जायेगा, इसीलिए चतुराईपूर्ण गड़बड़ी की गयी कि शक न हो सके।

काँग्रेस को गड़बड़ी करने की आवश्यकता सिर्फ १५० सीटों पर ही थी क्योंकि बाकी बची ३९० सीटों में से क्या काँग्रेस ५० सीटें भी न जीतती ? कुल मिलाकर हो गयीं २००, इतना काफी है सरकार बनाने के लिए।

वोटिंग मशीन हम पर क्यों थोपी जा रही हैं

क्या कारण है कि जिस वोटिंग मशीन को दुनिया के लगभग सभी विकसित देश अमेरिका, जर्मनी, हॉलैंड इत्यादि तकनीकी रूप से समृद्ध देशों ने चुनाव में इस्तेमाल करना बंद कर दिया, वही दुनिया का सबसे बडा लोकतंत्र भारत देश में अब भी हम पर थोपी जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में वोट देने के बाद क्या हम दावे से कह सकते हैं कि हमारा वोट उसी पार्टी के खाते में गया जिसे हमने वोट दिया ? इसका सबूत क्या है ?

'डच' जनहित समूह ने एक विडियो का निर्माण किया जिसमें दिखाया गया कि कितनी आसानी से और तुरंत वोटिंग मशीन को बिना किसीको पता चले हैक किया जा सकता है। जब यह विडियो 'डच' नेशनल टेलीविजन पर अक्टूबर २००६ में दिखाया गया तो वहाँ की नैंदरलैंड सरकार ने चुनाव में वोटिंग मशीन उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

जनता की आवाज

✻ EVM असंवैधानिक है क्योंकि इसमें वोट की पुष्टि करनेवाला कोई भौतिक सत्यापन का प्रावधान नहीं है।

- जर्मन संवैधानिक न्यायालय मार्च २००९

✻ जर्मन कोर्ट का निर्णय भारत में भी लागू होता है क्योंकि दोनों लोकतांत्रिक देश है। **- प्रसिद्ध वकील पॉल लेह्टो**

(पूर्व गर्वनर, वाशिंगटन स्टेट वार एसोसियेसन, यू.एस.ए)

✻ EVM संवैधानिक और कानूनी पहलुओं की पूर्ती नहीं करता।

- वरिष्ठ भारतीय वकील रोक्साना स्वामी और अजय जग्गा।

✻ भारतीय चुनाव आयोग को वोटिंग मशीन में होनेवाले खतरों के बारे में २००० से ही पता था। मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. एम. एस. गील ने EVM के सुरक्षा-उपायों की जानकारियाँ लीं। इन्होंने कुछ परिवर्तन किये लेकिन मूलभूत दोष जो हैकिंग को आसान बनाते हैं, उन्हें रहने दिया।

- डॉ सुब्रह्मण्यम् स्वामी

✻ अगर EVM निर्माणकर्ता स्वयं चिप,सरकिट बोर्ड में ट्रोजन वायरस डालें तो उसके खिलाफ हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है।

- ओमेश सैगल पूर्व आई.ए.एस

✻ एक मुख्य क्षेत्रीय पार्टी के कुछ प्रतिनिधि हमारे से हैदराबाद में मिलने आये और वे बोले कि 'हमें पता लगा है कि हैदराबाद में चुनावों में राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए चुनाव फिक्स (Fix) करनेवाले बेंगलौर के कुछ टेक्निकल विशेषज्ञ हैं क्या आप हमारे लिए यह काम कर सकते हैं ? **- हरिप्रसाद**

मशीन हैकर के कार्य

EVM मशीनें जब उनके निर्धारित चुनाव-क्षेत्रों में भेजी जा चुकी होती हैं तो एक उच्चस्तरीय हैकरों की टीम सिर्फ यह सुनिश्चित करती है कि माइक्रोचिप लगी हुई मशीनें उन क्षेत्रों में पहुँचें जहाँ वे परिणामों में गड़बड़ी करना चाहते हैं। इसके बाद चुनाव हुए, मशीनों में वोट डल गये और मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच कलेक्टोरेट के स्ट्रांग रूम में रख दिया गया। अब यहाँ से तकनीकी हैकरों का असली काम शुरू होता है। हैकरों की यह

टीम उच्चस्तरीय तकनीकी उपकरणों की मदद से सैटेलाइट के जरिये उन मशीनों से डाटा प्राप्त करती है, डाटा को कम्प्यूटर पर लिया जाता है और उसमें चालाकी से ऐसा हेर-फेर किया जाता है कि एकदम से किसीको शक न हो अर्थात् ऐसा भी नहीं कि जिस प्रत्याशी को जिताना है सारे वोट उसे ही दिलवा दिये जायें।

डाटा में हेर-फेर के पश्चात् उस डाटा को वापस इन्हीं माइक्रोचिप ट्रांसमीटर के जरिये मशीनों में अपलोड कर दिया जाता है। वोटिंग होने और परिणाम आने के बीच काफी समय होता है इतने समय में तो सारी मशीनों का डाटा बाकायदा एक्सल शीट (Excel Sheet) पर लेकर उसमें मनचाहे फेर-बदल गुणा भाग करके उसे वापस अपलोड किया जाता है। इस प्रकार की गड़बड़ी या धोखाधड़ी के फिलहाल सबूत नहीं हैं लेकिन आधुनिक तकनीकी युग में कम्प्यूटर के जानकार और विश्वस्तरीय उपकरणों से लैस हैकर कुछ भी करने में सक्षम हैं, इस बात को सभी मानते हैं।

वोटिंग मशीन में धोखाधड़ी से काँग्रेस की जीत

यह एक जटिल विषय है लेकिन मैं आसानी से बताता हूँ। जब हमारे पास पर्चेवाली मतदान प्रक्रिया थी। उस समय भी मतदान में धोखाधड़ी होती थी लेकिन वह बहुत कम और फुटकर मात्रा में थी। वह किसी एक निर्वाचन-क्षेत्र में या बूथ तक सीमित थी लेकिन यह EVM होलसेल धोखाधड़ी है।

बताना चाहूँगा जो कोर्ट में भी बोल चुका हूँ कि २००९ के चुनाव में अंदाज से ९० सीटें काँग्रेस ने EVM फ्राड के द्वारा ही जीती हैं। और हमने इस प्रकार सिद्ध किया है कि अगर हम हर निर्वाचन-क्षेत्र का बूथ के अनुसार विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि ११३ जगहों पर अन्य पार्टियों को ०, १, या २ वोट मिले हैं। अगर तार्किक दृष्टि से देखा जाय तो यह असम्भव है। प्रति बूथ हर पार्टी के कम-से-कम पाँच लोग होते हैं तो उनके परिवार को मिलाकर कम-से-कम २५ वोट तो होते हैं। तो यह कैसे सम्भव है ?

- डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी

संदर्भ :

Democracy at risk - Writer CVL Narasimha Rao
- http://www.indianevm.com
- http://saveindiandemocracy.wordpress.com
- http://www.youtube.com/watch?v=Q8gDtNZyjZI
- electronic-voting-machines-hacking.html
- https://sites.google.com/site/hindunew/evm technology
- http://defenceforumindia.com/forum/politics-society/10738-evm-how-fraud-proof-our-election-process.html
- http://www.civicengagement.org/agingsociety/links/democracy_at_risk.pdf
- http://www.indianevm.com/pdf/ANDHRAJYOTHYARTONMSNGEVMs.pdf
- http://indiaevm.org/evm_tr2010.pdf

बैलेट यूनिट

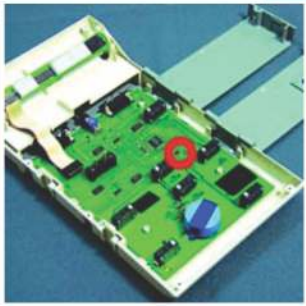

कंट्रोल यूनिट (अंदर का भाग)

EVM फ्राड की सच्चाई बतानेवाले को जेल ! हरि प्रसाद (कम्प्यूटर इंजीनियर)

अधिक जानकारी व विडियो देखने के लिए देखें : **srsinternational.org**

भारतीय EVM में प्रोग्राम विदेशी कंपनियों द्वारा डाला जाता है। इस प्रोग्राम को न चुनाव आयोग, न ही ECIL या BEL कम्पनियाँ जाँच सकती हैं न ही पुष्टि कर सकती हैं कि EVM की चिप में गलत या सही क्या प्रोग्राम डाला गया है।

चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है न की कुशलता।

– जर्मन सुप्रीमकोर्ट

आयरलैंड सरकार ने ५१ मिलियन यूरो के खर्चे और ३ साल के संशोधन के बाद भी लोगों में अविश्वास के चलते इसे रद्द कर दिया गया। – (न्यूजवीक – १ जून २००९)

वोटिंग मशीन की सच्चाई !

- आपके वोट के साथ होती है छेड़छाड़ !
- इलेक्ट्रोनिक मतदान प्रक्रिया असंवैधानिक !
- सभी विकसित देशों ने EVM को ठुकरा दिया है।
- वोटिंग मशीन से छेड़छाड़, सात में से पाँच वोट काँग्रेस को।
- इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) के छेड़छाड़ करने के कई तरीके ! EVM पेटेंट करने के लायक नहीं।
- सन् २००९ के लोकसभा चुनाव में काँग्रेस ने ९० सीट EVM में फ्राड करके जीती।
- EVM फ्राड की सच्चाई बतानेवाले को जेल !
- चुनाव उद्योग के अंतरंग कर्मचारियों के ऊपर भरोसा रखने की कोई जरूरत नहीं।
- चुनाव पूर्व काँग्रेस पार्टी ने कुछ लोगों को भर्ती किया। जो U.S.A. में बैंक एकाउन्ट, इंटरनेट और क्रेडिटकार्ड में हैकिंग के लिए दोषी पाये गये थे।
- भारतीय EVM का मुख्य पार्ट माइक्रोकंट्रोलर, जापान कम्पनी द्वारा बनवाया जाता है।
- क्या कारण है कि जिस वोटिंग मशीन को अन्य देशो ने बंद कर दिये वही हम पर थोपी जा रही है ?
- वोटिंग मशीनों में वोट देने के बाद क्या हम दावे से कह सकते हैं कि हमारा वोट उसी के खाते में गया जिसे हमने वोट दिया? इसका सबूत क्या है?

सर्व सहमति देश की जनता की ... यह पुस्तक जनहित में जारी है। कोई भी छपवाकर बाँट सकता है। यह देश का सेवाकार्य कोई भी कर सकता है, पक्का देशभक्त देशहित में जरूर करेगा। हमें यह विश्वास है।

All legal proceedings shall be subject to the jurisdiction of the courts in New Delhi.
The subject matter of this book is not be ownership right of the publiser or the writer.

संस्कृति रक्षक संघ
आध्यात्मिक भारत निर्माण
मुख्यालय : शास्त्री नगर, दिल्ली-110031. फोन : 011-32674126.
info@srsinternational.org www.srsinternational.org